

बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
आदेश

संख्या – 3/स्था०(8) 01/2026 –

/ पटना – 15, दिनांक –

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना अंतर्गत स्थापना/निगरानी/विधि/लेखा कार्य में संलग्न क्षेत्रीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगले आदेश तक रद्द करते हुए उनकी सेवा मूल पदस्थापित कार्यालय में वापस की जाती है।

2. उक्त निदेशालय के स्थापना/निगरानी/विधि/लेखा कार्य में संलग्न सभी क्षेत्रीय कर्मियों को विरमित करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब अपने-अपने मूल पदस्थापन कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
3. पूर्व में इस संबंध में निर्गत सभी आदेश/निदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
5. प्रस्ताव पर सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

संख्या – 3/स्था०(8) 01/2026 –

/ पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास, बिहार, पटना एवं संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव।

संख्या – 3/स्था०(8) 01/2026 –

/ पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव।

संख्या – 3/स्था०(8) 01/2026 – 2465 / पटना – 15, दिनांक – 22.05.26

प्रतिलिपि – आई०टी० प्रबंधक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना सभी संबंधितों के ई-मेल पर भेजने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.5.26

सरकार के संयुक्त सचिव।